R576-PBR/17

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर संभाग

150

प्रकरण क्रमांक- /2017/रिवीजन

1. राजबहादुर सिंह आत्मज श्री हरनाम सिंह राजपूत आयु 51 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम छज्जूबरखेड़ा, तहसील अशोकनगर, जिला अशोकनगर, (म0प्र0)

विवेक व्यास अभि० 7-2-17 को

-------*रिवीजनकर्ता/आवेदक*

बनाम

① शिवकान्त राजपूत पुत्र श्री अविरन आयु 50 व्यवसाय — निवासी — ग्राम चरखेड़ा छज्जू जिला अशोकनगर — अशोकनगर

7-2-17

② मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय अशोकनगर, (म0प्र0)

------*रेस्पोडेन्ट/अनावेदक*

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक-23/2014-15 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.12.2016 से दुखी व परिवेदित होकर श्रीमान् के समक्ष यह रिवीजन उचित न्याय हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

माननीय न्यायालय,

आवेदक/रिवीजनकर्ता की ओर से रिविजन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1. यहकि, माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 30.06.1994 को प्रकरण कमांक 90 अ 19/93,94 में मध्यप्रदेश विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के के अधीन रिविजनकर्ता को पट्टा प्रदान किया गया था। जिसके खिलाफ अपर कलेक्टर/एस.डी.ओ. महोदय अशोकनगर द्वारा स्वयमेव निगरानी में दिनांक 28.03. 2000 को उक्त पट्टा निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रंमाक R-576-II/17 **जिला अशोकनगर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–2–17	आवेदक की ओर से श्री विवेक व्यास उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से डी.के. शुक्ला पैनल अधिवक्ता उपस्थित । 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण क्रंमाक 190/अ–19/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 30–6–1994 से ग्राम बरखेड़ा छज्जू की भूमि सर्वे क्रंमाक 365/3 रकबा 0.421 एंव सर्वे क्रंमाक 364/3 रकबा 0.581 हैक्टर आवेदक के हित में म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की । तहसीलदार अशोकनगर के आदेश दिनांक 30–6–1994 को उपर कलेक्टर अशोकनगर ने स्वमेव निगरानी में लिया एवं प्रकरण क्रंमाक 219/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 28–3–2000 से भूमि व्यवस्थापन निरस्त कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रंमाक 258/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 27–4–2007 से उपर कलेक्टर अशोकनगर का आदेश दिनांक 28–3–2000 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतू प्रत्यावर्तित किया गया, जिस पर कलेक्टर जिला अशोकनगर ने प्र0 क्रं0 23/14–15 स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30–12–2016 पारित किया एवं तहसीलदार अशोकनगर के प्रकरण क्रंमाक 190/अ–19/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 30–6–1994 को निरस्त करते हुये भूमि व्यवस्थापन निरस्त कर दिया । इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ निगरानी मेमों में अंकित आधारों पर आवेदक एवं शासन के पैनल लायर के तर्क सुन गये । उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । 4/ आवेदक के एवं शासन के पैनल लायर के तर्को के क्रम में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अभिलेख के परीक्षण पर स्थिति यह है कि ग्राम बरखेडा छज्जू की भूमि सर्वे क्रंमाक 365/3 रकबा 0.421 एंव सर्वे क्रंमाक 364/3 रकबा 0.581 हैक्टर को आवेदक के हित में म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत इस आधार पर व्यवस्थापन किया गया है कि आवेदक का उक्तांकित भूमि पर 2-10-1984 के पूर्व से कब्जा चला आ रहा है और कब्जे के सम्बन्ध में तहसीलदार अशोकनगर द्वारा जॉच करके एवं कब्जा प्रमाणित पाये जाने पर भूमि व्यवस्थापित की है । कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 30-12-16 में विवेचित तथ्यों पर ध्यान देने से परिलक्षित है कि उन्होंने तहसीलदार के आदेश दिनांक 30-6-1994 को इसलिये निरस्त किया है क्योंकि तहसीलदार ने भूमि व्यस्थापन करते समय नियमानूसार प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है । यदि राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्रकरण के संधारण में नियम एंव प्रक्रिया की त्रुटि की है तब क्या भूमि के व्यवस्थापन को निरस्त करके कृषक को उसकी आजीविका चलाने वाली भूमि से बंचित करना न्यायोचित माना जावेगा । 1. **इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती – प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता ।** 2. **देवी प्रसाद विरूद्ध नाके J.L.J. 155=1975 R.N. 67=1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया । आवंटिति को भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त । तत्पश्चात् आवंटन रदद् नही किया जा सकता ।** उपरोक्त कारणों से दिनांक 30-6-1994 से आवेदक के हित में हुये व्यवस्थापन को आज की स्थिति में अर्थात 25 वर्ष से	

R 576-II/17 उ0प्र0

अधिक समय बाद निरस्त करना न्यायोचित नहीं है एवं उक्त न्याय दृष्टांतों अनुसार कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दिनांक 30–12–16 पारित करते समय इस तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण कलेक्टर अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–16 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्र0 क्र0 23/14–15 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–12–16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम0के0सिंह)
सदस्य